

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/

जयपुर, दिनांक

17.12.09.

19640-70

जिला कलेक्टर,

अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर,

चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर,

जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली,

सीकर, सिरोही, टोंक।

विषय :- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जनवरी, 2010 हेतु निम्नानुसार चारा डिपो खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
1.	अजमेर	140
2.	बाड़मेर	250
3.	भीलवाड़ा	150
4.	बीकानेर	180
5.	चूरू	100
6.	गंगानगर	25
7.	हनुमानगढ़	303
8.	जैसलमेर	200
9.	जालौर	50
10.	झुन्झुनू	25
11.	जोधपुर	150
12.	नागौर	45
13.	पाली	70
14.	सीकर	32
15.	सिरोही	50
16.	टोंक	20
	योग:-	1790

नोट:- उक्त संख्या पूर्व में (दिसम्बर, 2009 तक) स्वीकृत पशु शिविर की संख्या को शामिल करते हुए है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

इसके अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

16/12/09

शासन सचिव